ग्राम पंचायत हिन्नर, विकास खण्ड कण्डाघाट, ज़िला सोलन के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017

भाग-1

1 प्रस्तावना (क)

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि०प्र० को सोंपे जाने के दृष्टिग, ग्राम पंचायत हिन्नर, विकास खण्ड कण्डाघाट, ज़िला सोलन के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया !

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री रूप सिंह	1.04.2014 से 31.12.2015
2	श्रीमति निशा ठाकुर	1.01.2016 से लगातार

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्रीमति तारा	1.04.2014 से 31.12.2014
2	श्री देवेन्दर कुमार	1.01.2015 से 28.02.2015
3	श्रीमति तारा	1.03.2015 से लगातार

(ख) गंभीर अनियमितताओं का सार:- ग्राम पंचायत हिन्नर, विकास खण्ड कण्डाघाट,ज़िला सोलन के लेखाओं अवधि 04/2014 से 03/2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7	अनुदान राशि का उपयोग न करना	36.50
2	8	अनुदानों पर प्राप्त ब्याज को स्वयं स्त्रोत की आय में स्थानान्तरण न करना	2.64
3	9	गृहकर व मोबाइल टावर शुल्क की शेष वसूली	1.14

4	10	सोलर स्ट्रीट लाइटों के क्रय मे अनियमितता	7.00
5	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टाक/स्टोर का क्रय	5.77
6	12	जेसीबी चार्जीस का अनियमित भुगतान	6.60
7	14	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत मस्ट्रोल पर करवाए गए कार्य का बिना सत्यापन भुगतान	2.07

भाग –दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत हिन्नर, विकास खण्ड कण्डाघाट, ज़िला सोलन के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री अमर दत्त, अनुभाग अधिकारी व श्री लोकेश व्यास, कनिष्ट लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 13/06/2017 से 16/06/2017 तक ग्राम पंचायत हिन्नर के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 09/2014, 5/2015, 7/2016 व 12/2014, 5/2015, 3/2017 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है ।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि०प्र० उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत हिन्नर, विकास खण्ड कण्डाघाट, ज़िला सोलन के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि०प्र० शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:जीपीऑडिट/एसएलएन/2017-18-01 दिनांक 15/06/2017 द्वारा सचिव, पंचायत हिन्नर से अनुरोध किया गया । तदानुसार सचिव, ग्राम पंचायत हिन्नर द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 862022 दिनांक 4/07/2017 (स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, गौडा) द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० शिमला-171009 को प्रेषित किया गया है ।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत हिन्नर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2014 से 3/2017 के लेखाओं की वित्तिय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

(i) स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत हिन्नर के अवधि 4/2014 से 3/2017 स्व स्त्रोतों की वित्तिय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	745798	54230	800028	62917	737111
2015-16	737111	67745	804856	52231	752625
2016-17	752625	60168	812793	114843	697950

बैंक समाधान विवरणी:

दिनांक 31/3/2017 को रोकड़ बही/वित्तिय स्तिथि के अनुसार अंतिम शेष	₹697950
दिनांक 31/3/2017 को पास बुक के अनुसार अंतिम शेष **(विस्तृत विवरण हेतु परिशिष्ट 1-ए का अवलोकन करें)**	₹697950
अन्तर	शून्य

ग्राम पंचायत हिन्नर को अंकेक्षण अवधि के दौरान स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय व पंचायत निधि से किये गए व्यय के अवलोकन पर पाया गया की पंचायत की आय में वर्ष 2014-15 की तुलना में 2015-16 में लगभग 25% की वृद्धि हुई है जबकि 2016-17 में 2015-16 की तुलना में लगभग 11% की कमी पाई गई है अतः आय में कमी के कारणों पर स्थिति स्पष्ट की जाए तथा पंचायत निधि में वृद्धि हेतु आवश्यक पग उठाया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

उपरोक्त के अतिरिक्त पंचायत निधि से किये गए व्यय के अवलोकन पर पाया गया की पंचायत निधि में आवश्यकता से अधिक राशि बचत खातें में रखी गई है जिसको सावधि जमा खातें में निवेश करके ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक आय, एक अतिरिक्त स्त्रोत के रूप में प्राप्त हो सकती है। अतः पंचायत निधि से किये गए औसत व्यय को देखतें हुये ₹1,50,000 से अधिक की राशि का सावधि जमा में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा आगामी अंकेक्षण के समय अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें ।

(ii) अनुदान :- ग्राम पंचायत हिन्नर के अवधि 4/2014 से 3/2017 के अनुदानों की वित्तिय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** मे भी दिया गया है ।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	796351.04	5513120.0	6309471.04	4445433.40	1864037.64

2015-16	1864037.64	7693075.5	9557113.14	6760715.04	2796398.10
2016-17	2796398.10	3668715.0	6465113.10	2814553.08	3650560.02

संयुक्त बैंक समाधान विवरणी:

(व्यक्तिगत बैंक समाधान विवरणी हेतु **परिशिष्ट 1-बी** का अवलोकन करें)

दिनांक 31/3/2017 को रोकड़ बही/ वित्तिय स्तिथि के अनुसार अंतिम शेष	**36,50,560.02**
दिनांक 31/3/2017 को पास बुकों के अनुसार अंतिम शेष	33,54,045.02
(विस्तृत विवरण हेतु परिशिष्ट 1-ए का अवलोकन करें)	
अन्तर	2,96,515.00
अन्तर का कारण :	
(-) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) की रोकड़ बही में दिनांक **31/3/2017 को** चैक संख्या 711949 द्वारा रु 96000 की राशि की प्राप्ति की गई परन्तु बैंक द्वारा दिनांक 4/05/2017 को जमा किया गया	(-) 96000.00
(-) चैक प्राप्त हुए परन्तु बैंक द्वारा दिनांक 31/3/2017 तक सामान्य निधि खाते मे जमा नहीं किये : चैक संख्या 938320 दिनांक 30.3.17 ₹40000 चैक संख्या 000034 दिनांक 30.3.17 ₹96000 चैक संख्या 000066 दिनांक 31.3.17 ₹80000	(-)216000.00
(+) **सामान्य निधि** से चैक जारी किया परन्तु बैंक में दिनांक 7/4/2017 को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया : चैक संख्या 028657 दिनांक 29.3.17 ₹12285	(+)12285.00
सामान्य निधि खाते मे अन्तर की राशि (unreconciled amount)	(+)3200.00
दिनांक 31/3/2017 को बैंक पास बुकों के अनुसार अंतिम शेष (MGNAREGA,13th FC,PMAGY,General Fund, RAY,IAY and Micro Watershed)	**33,54,045.02**

(विस्तृत विवरण हेतु परिशिष्ट 1-ए का अवलोकन करें)

5 रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक का मिलान न करने के कारण सामान्य निधि में ₹3200.00 का अन्तर !

सामान्य निधि की रोकड़ बही का सम्बन्धित बैंक खाते से मिलान करने पर पाया गया की पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। जबकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। नियमानुसार रोकड़ बही तथा पास बुक का मिलान न करने के

कारण रोकड़ बही तथा पास बुक के अंतिम शेष में ₹3200 का अन्तर पाया गया। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे मे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना तथा हर माह के अंत में मिलान करके ग्राम पंचायत प्रधान से प्रमाणित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 मे पंचायत के आय-व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

7 अनुदान ₹36.50 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों से उपलब्ध कारवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31/03/201 7 तक विभिन्न अनुदानों से प्राप्त ₹36,50,560 उपयोग हेतु शेष थी। जिसे न तो पंचायत द्वारा निश्चित अवधि हेतु सावधि जमा में निवेश किया गया ताकि पंचायत को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक आय प्राप्त होती और न ही ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर उपयोग किया गया। अतः ग्राम पंचायत को प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार अनुदानों का उपयोग विहित अवधि के दौरान किया जाना वांछित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान राशी का नियमानुसार उसी कार्य पर उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिस कार्य हेतु अनुदान राशी स्वीकृत की गई है ।

8 अनुदानों पर प्राप्त ब्याज ₹2,63,960 को स्वयं स्त्रोत की आय में स्थानान्तरण न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (i) के अनुसार नियम 3 के कोड संख्या 1 से 50 में सन्दर्भित स्त्रोत से प्राप्त आय को पंचायत के स्वयं की आय माना

गया है तथा खाता– ए (Account - A) में शामिल किया गया है इसी प्रकार नियम 3 के कोड संख्या 51 से 99 जिसमें विभिन्न संस्थाओ से प्राप्त अनुदानों व ऋणों को भी शामिल किया गया है तथा खाता –बी (Account-B) में रखा गया है। खाता –बी पर प्राप्त होने वाले ब्याज अर्थात अनुदानों व ऋणों पर प्राप्त होने वाले ब्याज को प्रतिवर्ष जनवरी व जुलाई में खाता–ए (स्वयं के स्त्रोत की आय) में स्थानान्तरित किये जाने का प्रावधान है। अतः ग्राम पंचायत को विभिन्न अनुदानों पर प्राप्त हुई ब्याज ₹2,63,960 जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है, को स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय में स्थानान्तरित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा ₹2,63,960 को खाता–ए में स्थानान्तरित कर कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

क्रम संख्या	**अनुदान स्त्रोत**	**वर्ष**		
		2014-15	**2015-16**	**2016-17**
1	सामान्य निधि	24531	35730	84278
2	13वां वित्त आयोग	4204	6474	7126
3	एमजीएनरेगा	1193	113	04
4	माइक्रो वाटरशेड	2016	8590	10695
5	पीएमएजीवाई	21886	31623	17940
6	इंदिरा आवास योजना	3145	2309	1822
7	राजीव आवास योजना	214	39	28
	कुल राशि	57189	84878	121893

कुल स्थानातरण योग्य राशि ₹2,63,960

9 गृहकर व टावर शुल्क की ₹1,13,950 की शेष वसूली

ग्राम पंचायत को स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने हेतु अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या जी पी ऑडिट/हिन्नर/2017-2018-01 दिनांक 14/06/2017 जारी किया जिसके प्रत्युत्तर में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा पत्र संख्या शून्य दिनांक शून्य **(परिशिष्ट-2)** द्वारा वांछित सूचना प्रदान की गई जिसके अनुसार 31/03/2017 को ₹1,13,950 वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(i) गृहकर :-

क्रम संख्या	**वर्ष**	**पंजीकृत परिवारों की संख्या**	**गृहकर दर प्रति वर्ष प्रति परिवार**	**शेष वसूली योग्य राशि**
1	2014-15	655	50	32,750
2	2015-16	662	50	33,100

3	2016-17	662	50	33,100

गृहकर की कुल वसूली योय ₹98,950

(ii) बीएसएनएल टावर शुल्क:- ग्राम पंचायत हिन्नर के क्षेत्राधिकार में भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित मोबाइल टावरों से दिनांक 31/03/2017 को ₹15000 की वसूली हेतु शेष थी ।

अतः उपरोक्त शेष वसूली योग्य राशि की शीघ्र अतिशीघ्र वसूली कर कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 ₹7,00,000 की सोलर स्ट्रीट लाइटों के क्रय मे अनियमितता

ग्राम पंचायत हिन्नर द्वारा प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत मेसर्स आश्रय ट्रेडर चंडीगढ़ से निम्न विवरणानुसार ₹7,00,000 की राशि की सोलर स्ट्रीट लाइटों का क्रय किया गया:-

क्र० सं०	बिल सं०	दिनांक	लाइट्स की संख्या	मूल्य प्रति लाइट	कुल राशि
1	026	27/06/15	10	25000	250000
2	029	27/06/15	9	25000	225000
3	032	27/06/15	9	25000	225000
					कुल क्रय ₹7,00,000

उपरोक्त सोलर स्ट्रीट लाइटों के क्रय में निम्न अनियमितताएं पाई गई।

i) ₹7,00,000 की सोलर स्ट्रीट लाइटों के क्रय हेतु पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67 के अंतर्गत प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की गई अर्थात क्रय हेतु नियम 67(3) के अंतर्गत क्रय समिति का गठन व 67(5) के अंतर्गत निर्धारित विधि द्वारा टेंडर आमंत्रित किया जाना अनिवार्य था जबकि पंचायत द्वारा बिना कोटेशन/टेंडर प्राप्त किये ही क्रय किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए ।

ii) खरीदी गई सोलर स्ट्रीट लाइटों की भण्डारण प्रविष्टि नहीं की गई।

iii) इस आशय की कोई पुष्टि नहीं की गई की खरीदी गई सोलर स्ट्रीट लाइटों को उन्ही चिन्हित स्थानों पर स्थापित कर दिया गया है जहां के लिए इन्हे क्रय किया गया था।

iv) सोलर स्ट्रीट लाइटों के क्रय से संबन्धित कोटेशनों के अवलोकन से पाया गया कि, कोटेशनों पर न तो कोटेशन प्रदान किए जाने और न ही कोटेशन प्राप्त किये जाने की कोई तिथि अंकित की गई है जिसकी अनुपस्थिति में न तो कोटेशनों की वैधता की जानकारी प्राप्त की जा सकती है और न ही समय विशेष में प्रतियोगी मूल्यों की ही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अतः इस प्रकार से कोटेशन प्राप्त करना मात्र एक खानापूर्ति है जिससे न्यूनतम प्रतियोगी मूल्यों पर क्रय करने का उद्देश्य किसी भी प्रकार से प्राप्त होता प्रतीत नहीं होता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67 के अंतर्गत

प्रावधित नियमों की अनुपालना कर इस प्रकार का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

v) सोलर स्ट्रीट लाइटों के क्रय हेतु न तो सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति और न ही इस क्रय से संबन्धित आवश्यक प्राक्कलन अंकेक्षण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया जिसे की पंचायत कार्यालय में अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध होना सुनिश्चित किया जाए ।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹5.77 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधिक है, जिसके अनुसार ₹1000 से अधिक के व ₹50,000 से कम राशि के क्रय हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाना तथा ₹50,000 से अधिक राशि के क्रय हेतु टेंडर आमंत्रित किए जाने के बाद ही क्रय किए जाने का प्रावधान है ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त होकर, न्यूनतम बाजारी मूल्यों पर एच्छिक वस्तुओं की प्राप्ति हो सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा न तो नियमानुसार कोटेशने ही प्राप्त कि गई और न ही किसी क्रय हेतु टेंडर आमंत्रित किए गए ।

नियम 3(ए) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नामित दो वार्ड मेम्बर्स तथा सचिव को सम्मिलित करके एक उप समिति का गठन करके समिति द्वारा कोटेशने/टेंडर आमंत्रित करने के उपरान्त ही ₹1000 से अधिक की राशी की स्टोर/स्टॉक/निर्माण सामग्री क्रय किए जाने का प्रावधान है परंतु ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार के क्रय हेतु न तो उप समिति का गठन किया गया है और न ही कोई कोटेशने/टेंडर प्राप्त किए है बल्कि यदाकदा बिना किसी निर्धारित औपचारिकता को पूर्ण किये क्रय की जाने वाली वस्तु/सामग्री से सम्बन्धित मूल्य प्राप्त कर कोटेशन के नाम पर संलग्न किया गया है परन्तु इस प्रकार संलग्न किसी भी मूल्य सूचि को किसी भी समिति/उपसमिति द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है तथा पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों से होने वाले लाभ से पुर्णतः वंचित किया गया है तथा अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ देने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी कि स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय

किया जाना सुनिश्चित किया जाये। अंकेक्षण हेतु चयनित माह की जांच में पाया गया की पंचायत द्वारा लगभग ₹5,77,817 के स्टॉक/स्टोर का क्रय उक्त औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-3** में दिया गया है ।

12 जेसीबी चार्जीस ₹6,59,900 का अनियमित भुगतान

ग्राम पंचायत हिन्नर के अवधि 4/2014 से 3/2017 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया की ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु जेसीबी को ₹850 प्रति घंटे के आधार पर किराये पर लेकर मैदान/सड़क निर्माण का कार्य करवाया गया है और जेसीबी के सभी ठेकेदारों/सड़क निर्माण में लगाई गई मशीनों को एक ही दर से अर्थात ₹850 प्रति घंटे की दर से कोटेशन के आधार पर भुगतान दर्शाया गया है जबकि तकनीकी सहायक द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश पीडब्लूडी शेड्यूल रेट के आधार कटाई करवाए जाने वाले कार्य के एस्टीमेट तैयार कर कार्य की प्रमात्रा क्यूबिक मीटर में निकाली गई है जिस हेतु ग्राम पंचायत द्वारा कार्य की प्रकृति व् प्रमात्रा के आधार पर सड़क या मैदान निर्माण हेतु प्रति क्यूबिक मीटर के आधार पर कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने के उपरांत कार्य करवाया जाना वांछित था। ग्राम पंचायत द्वारा जिस प्रकार जेसीबी मशीन से करवाई गई सड़क/मैदान कटाई का भुगतान घंटों के आधार पर किया गया है वह किसी भी प्रकार से तर्कसंगत व् न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है क्यों की न तो कार्य पूर्ण होने के उपरांत अनुमानित कार्य व् वास्तविक रूप से हुए कार्य को जांचने के उपरांत तकनीकी सहायक/कनिष्ट अभियंता द्वारा डेविएशन स्टेटमेंट तैयार की गई है और न ही कर कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र ही जारी किया गया है, सम्बन्धित जेसीबी मालिक द्वारा बिल में दर्शाए गए घंटों को किसी भी सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित नहीं करवाया गया है जिसकी अनुपस्थिति में बिल पर दर्शाए गए कार्य घंटों की सत्यता व कार्य के पूर्ण निष्पादन न होने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रति घंटें की दर से करवाए गए कार्य (अंकेक्षण हेतु चयनित माह में) का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-4** में दिया गया है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा प्रति घंटे की दर से जेसीबी से करवाए गए कार्य की जांच करवाया जाना सुनिश्चित करे की, जिस कार्य हेतु भुगतान किया गया है वह पूर्ण हो चूका है तथा किये गए कार्य की असेसमेंट करने के उपरांत अनुमानित कार्य से मिलान कर यह भी सुनिश्चित किया जाये की जेसीबी को प्रति घंटे की दर से शेडयूल रेट के

आधार पर निर्धारित होने वाली राशि व जस्टीफ़ाइड रेट्स से अधिक भुगतान नहीं किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त **परिशिष्ट-4** में वर्णित ठेकेदारों/जेसीबी मालिकों को कार्य का भुगतान करते समय समय कोई भी संवैधानिक कटौती नहीं की गई है जबकि नियमानुसार सम्बन्धित ठेकेदार से निम्नवर्णित संवैधानिक कटौतीयां की जानी वांछित थी ।

a) आयकर, फर्म व कम्पनी से 2%, व्यक्तिगत व एचयूएॅफ़ से 1% की दर से

b) सेल्स टैक्स 3%

c) प्रतिभूति राशि 10%

d) लेबर सेस 1%

अतः उपरोक्त कटौतियों को सम्बन्धित बिल से न किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी संवैधानिक कटौतीयां करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार के कार्यों के भुगतान को कनिष्ट अभियंता से सत्यापित करवाकर तथा माप पुस्तिका में प्रविष्ट कर माप पुस्तिका संख्या व पृष्ट संख्या का विवरण सम्बन्धित बिलों पर देने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

13 ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान

ग्राम पंचायत के मानदेय सम्बन्धी रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया की पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के नियम 64 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, मेम्बर्स, चौकीदार,जल वितरक व सिलाई अध्यापिका आदि को मासिक मानदेय का भुगतान ग्राम पंचायत निधि से किया गया है। परन्तु न तो मानदेय से सम्बन्धित कोई वाउचर ग्राम पंचायत प्रधान से पारित करवाया गया है और न ही मानदेय की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज/अभिलेख ग्राम पंचायत कार्यालय में अंकेक्षण के अवलोकनार्थ उपलब्ध था जिस कारण मानदेय भुगतान की सही दरों की पुष्टि नहीं हो सकी है। अतः मानदेय भुगतान की सही दरों की पुष्टि हेतु हिमाचल सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति पंचायत कार्यालय में उपलब्ध करवाए जाने के साथ-साथ मानदेय भुगतान के बिल/वाउचर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

14 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत मस्ट्रोल पर करवाए गए ₹2,06,992 के कार्य का बिना सत्यापन भुगतान

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत मस्ट्रोल पर करवाए गए विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु जारी मस्ट्रोल की जांच करने पर पाया गया

की मस्ट्रोल पर श्रमिकों द्वारा किये गए कार्य की प्रगति से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं था और न ही मस्ट्रोल पर कार्य प्रगति के किसी पंजिका में प्रविष्ट किये जाने से सम्बन्धित कोई उल्लेख था जिस कारण मस्ट्रोल पर करवाए गए कार्य का सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः यह सुनिश्चित किया जाए की कार्य प्रगति से सम्बन्धित अभिलेख पंचायत कार्यालय में उपलब्ध हो तथा मस्ट्रोल पर कार्य के सम्बन्धित एम् बी में प्रविष्ट किये जाने का उल्लेख किया जाना सुनिश्चित किया जाए। कुछ मस्ट्रोल जिन पर उक्त वर्णित अनियमितताये पाई गई का विस्तृत बयोरा संलग्न **परिशिष्ट-5** में दिया गया है ।

15 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रखरखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

I अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
Ii रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी
iii चैक जारी करने का रजिस्टर
Iv चल संपत्ति का रजिस्टर
V आकस्मिक व्यय रजिस्टर
Vi चैक प्राप्ति रजिस्टर
Vii प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर
Viii खाता बही रजिस्टर
Ix इन्वेंट्री रजिस्टर

16 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत द्वारा न तो क्रय की जा रही भण्डार सामग्री को नियमानुसार सम्बन्धित पंजीका में प्रविष्ट किया जा रहा है और न ही क्रय की गई सामग्री का भौतिक सत्यापन किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

17 लघु आपत्ति विवरणिका

i) ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को मात्र ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया जा रहा है जबकि पंचायती राज वित्त नियम,2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक की ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दो एवं अंको दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्त हस्ताक्षरित न किया गया हो। अतः भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ii) पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 7 के अनुसार प्रत्येक बिल/वाउचर पर ग्राम सभा द्वारा उस सम्बन्धित व्यय को पारित किये जाने की प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित किया जाना अनिवार्य है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये जा रहे किसी भी बिल/वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित नहीं किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उक्त नियम का पालन किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 **निष्कर्ष :-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(iv)24/2017–खण्ड–1–6180–6183,दिनाँक,12.10.17
शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत हिन्नर, विकास खण्ड कण्डाघाट तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कण्डाघाट तहसील कण्डाघाट जिला सोलन हि0प्र0

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881